कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद

अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य–	जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची की तैयारी तथा लोकसभा/विधानसभा/विधान परिषद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य–	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यो का अनुश्रवण किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रकिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है–	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी नामित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यो का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
(iv)	कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्व रूप से निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख–	भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन विधि निर्देशिका एवं समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो को समयबद्व तरीके से निस्तारित किया जाता है।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि, जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइड www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं–	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयारी की जाने वाली निर्वाचन नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र तथा निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है और इसमें जन प्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य का सहयोग लिया जाता है।

(viii)	ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण–	– शून्य –
(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका –	अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं निम्नानुसार है :– 1– श्री हरिकृष्ण शर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी 2– श्री राजेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक 3– श्री जयलाल यादव, वरिष्ठ सहायक
(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो–	अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की सूचना संलग्न है। (तालिका–2)
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, छपाई, मतदाता फोटो पहचान–पत्र और समय–समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों से सम्बन्धित व्यय बीजकों के भुगतान हेतु धनावंटन प्रदत्त किया जाता है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित हैं –	इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
(xiii)	अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं की विशिष्टियां–	– शून्य –
(xiv)	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों–	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइड www.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाइड www.ceouttarpardesh.nic.in पर उपलब्ध है।

(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं–	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी / जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रातः 10–00 बजे से सांय 5–00 बजे तक)
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां–	लोक सूचना अधिकारी का नाम, श्री हरिकृष्ण शर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी है। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना प्राप्त करने हेतु जन सूचना अधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजियाबाद को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्राफट या बैकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर, वॉछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार / सम्पर्क जनसमान्य द्वारा किया जा सकता है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचनाऐं जो विहित की जायें–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथा समय अपडेट की जाती हैं।

पत्र संख्या–1019 / सीईओ–1–105 / 1–2005 दिनांक 22 मई 2018
जिला निर्वाचन कार्यालय गाजियाबाद ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 (1)बी के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या तथा तिथि	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
17, 26.5.2018	शून्य	अमान्य

- 318 -LETTER-2017